

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

13 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിട്ട ചോദ്യം നം. 453

24-03-2025 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

തൃശ്ശൂർ പൂരം നടത്തിപ്പിന്റെ മുൻകരുതൽ നടപടികൾ

ചോദ്യം	ഉത്തരം
<p align="center">ശ്രീ. പി. നന്ദകുമാർ, ശ്രീ. തോട്ടത്തിൽ രവീന്ദ്രൻ, ശ്രീ. മുരളി പെരുന്നേല്ലി, ശ്രീ. കെ.എൻ. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ</p>	<p align="center">ശ്രീ. പിണറായി വിജയൻ (മുഖ്യമന്ത്രി)</p>
<p>(എ) തൃശ്ശൂർ പൂരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന അവലോകന യോഗത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ള ഗസറ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷനിലെ നിബന്ധനകൾ നടപ്പിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട ദേവസാം അധികൃതർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടോയെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;</p>	<p>(എ) കേരളത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക പൈതൃകത്തിന്റെ മഹിമ വിളിച്ചോതുന്ന തൃശ്ശൂർ പൂരം ഭംഗിയായി നടത്തുന്നതിന് മുന്തിയ പരിഗണനയാണ് സർക്കാർ നൽകുന്നത്. ആവശ്യമായ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഉറപ്പുവരുത്തിക്കൊണ്ട് ലോകപ്രശസ്തമായ തൃശ്ശൂർ പൂരം കുറുമുറ്റ രീതിയിൽ നടത്തുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിന് 01.03.2025 ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ അവലോകന യോഗം ചേർന്നിരുന്നു. കേന്ദ്ര സർക്കാർ പുറപ്പെടുവിച്ച ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനത്തിലെ നിബന്ധനകൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിലെ പ്രായോഗിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ യോഗം വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു. ഇക്കാര്യത്തിൽ സാധ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് ബഹു. കേന്ദ്ര മന്ത്രി ശ്രീ. പീയൂഷ് ഗോയലിന് മുഖ്യമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെ കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന വിവരം യോഗത്തിൽ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പൂരം നടത്തിപ്പിൽ യാതൊരു അനിശ്ചിതത്വവും ഉണ്ടാകാതിരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികളാണ് യോഗം ചർച്ച ചെയ്തത്.</p>
<p>(ബി) പ്രസ്തുത നോട്ടിഫിക്കേഷന്റെ വിശദാംശം അറിയിക്കുമോ;</p>	<p>(ബി) നോട്ടിഫിക്കേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബഹു. കേന്ദ്ര മന്ത്രിക്ക് അയച്ച കത്ത് അനുബന്ധം -I ആയും നോട്ടിഫിക്കേഷന്റെ പകർപ്പ് അനുബന്ധം - II ആയും ചേർക്കുന്നു.</p> <p>11.10.2024 ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ എക്സ്പോസിീവ് ചട്ടങ്ങളിൽ കൊണ്ടുവന്ന ഭേദഗതി തൃശ്ശൂർ പൂരം ഉൾപ്പെടെ സംസ്ഥാനത്ത് വിവിധ ആരാധനാലയങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന വെടിക്കെട്ടുകൾക്ക് കർശന നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തുന്നതാണ്.</p> <p>വെടിക്കെട്ട് പൂരയിൽ നിന്നും 200 മീറ്റർ അകലെയാകണം വെടിക്കെട്ട് നടത്തേണ്ടത് എന്നതാണ് പ്രധാന ഭേദഗതി. വെടിക്കെട്ട്</p>

		<p>സ്ഥലത്തെ ബാരികേഡിൽ നിന്ന് 100 മീറ്റർ അകലെയായിരിക്കണം വെടിക്കെട്ട് വീക്ഷിക്കുന്നവരെ നിർത്തേണ്ടത് എന്നും നിബന്ധനയുണ്ട്. വെടിക്കെട്ടിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇരുമ്പ് പൈപ്പുകളുടെ ഉപയോഗത്തിലും ചില മാനദണ്ഡങ്ങൾ നിഷ്കർഷിക്കുന്നു. ഇത് ഉൾപ്പെടെ 35 ഭേദഗതികളാണ് വിജ്ഞാപനത്തിൽ ഉള്ളത്.</p>
(സി)	<p>ഈ വിഷയം പരിഗണിച്ച് പോലീസുമായി സംയുക്ത പരിശോധന നടത്തി ഉചിതമായ നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളുന്നതിന് അവലോകന യോഗത്തിൽ ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തെ ചുമതലപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായോ; വിശദമാക്കുമോ;</p>	<p>(സി) ദേവസ്വങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ള ചില പ്രായോഗിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ജില്ലാ ഭരണകൂടവും പോലീസും ആയി ചേർന്ന് കേന്ദ്ര നിയമമായ PESO Act പ്രകാരം പരിശോധന നടത്തി ഉചിതമായ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് യോഗത്തിൽ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പോലീസും ജില്ലാ ഭരണകൂടവും നടപടികൾ ഇതിനകം കൈക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ട്.</p>
(ഡി)	<p>ദേശീയ-വിദേശ സഞ്ചാരികളെയും വിശ്വാസികളെയും ആകർഷിക്കുന്നതിനും പൂരം ആസ്വദിക്കുന്നതിനും ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനും സുതാര്യവും സുരക്ഷിതവുമായ അന്തരീക്ഷമൊരുക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ മുൻകരുതൽ കൈക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ടോയെന്ന് വിശദമാക്കാമോ?</p>	<p>(ഡി) മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ നടന്ന അവലോകന യോഗത്തിലെ തീരുമാനപ്രകാരം 14.03.2025 ന് തൃശ്ശൂർ കളക്ടേറ്റിൽ ദേവസ്വം വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ബഹു. കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രി, റവന്യൂ, ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രിമാർ, മേയർ, എം.എൽ.എ, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്, ഉദ്യോഗസ്ഥർ, തിരുവമ്പാടി, പാറമേക്കാവ് ദേവസ്വങ്ങൾ, കൊച്ചിൻദേവസ്വം ബോർഡ് എന്നിവരെ പങ്കെടുപ്പിച്ച് അവലോകനയോഗം ചേർന്നിരുന്നു.</p> <p>പൂരം നടത്തിപ്പ് സുഗമമാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ സൗകര്യം ഒരുക്കുവാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് എല്ലാ വകുപ്പുകളോടും നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകളെ ഉൾപ്പെടുത്തി അവലോകന യോഗങ്ങൾ നടത്തി സമയബന്ധിതമായി ആക്ഷൻ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് വരുന്നു.</p>

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ



GOVERNMENT OF KERALA
Pinarayi Vijayan
CHIEF MINISTER

Dev-A

D.O. No. 2267/2024/CM, Dated 18.11.2024

Dear Shri. Piyush Goyal ji,

This is to bring to your kind attention certain serious apprehensions of the State regarding the recent amendments to the Explosive Rules issued vide notification G.S.R.633(E) dated 11th October 2024 that merit your immediate intervention. These concerns are based on the feedback from various stakeholders that are adversely affected by certain provisions of the aforesaid amendment.

Kerala enjoys a rich cultural legacy reflected in the spread of its religious places of worship across the length and breadth of the State. In fact, one of the visible features of this legacy and heritage is the splendour and grandeur of its festivals marked by the copious use of fireworks during these festivities.

The State has always been committed to ensuring the safety standards and is scrupulous in the implementation of the various provisions of the Explosives Act. We strictly ensure that only those places of worship that are able to comply with the standards envisaged in the Act are allowed to conduct fireworks. While it is necessary to accord paramount consideration to safety, it is also important to ensure that the amended rules impose only reasonable restrictions and do not impede the fair and reasonable conduct of fireworks that are part of the religious festivities.

I wish to bring to your kind attention some of the specific provisions in the amended rules that are difficult to implement given the geographical

AS (Dev)
Add to file

So Dev
41, 3rd Floor, North Block
Government Secretariat
Thiruvananthapuram Pin 695001

T 0471 2333241, 2333812, 2333610 F. 0471 2333489
E chiefminister@kerala.gov.in
facebook.com/cmokerala twitter.com/cmokerala
www.keralacm.gov.in

Residence
Cliff House
T 0471 2318406, 2314853

20/11/24
see file
Dev A/267/2024.

and spatial constraints faced by many religious places of worship. Furthermore, one of these amended provisions would in fact, entail an adaptation to newer methods in fireworks display. You will appreciate that a switchover from the traditional methods can only be achieved with time.

The Table laid down in Rule 113 in the pre-amended Explosive Rules 2008 specifies the documents for approval and grant of license. Item 6 in the Table pertaining to fireworks for public display was specified as "Licence to possess and use fireworks for public display". In the amendment, a quantity restriction has been brought and the entry was altered as 'Licence to possess and use fireworks for public display not exceeding 2000 kilogram's at a time'.

- However, in applying for the license for the above (LICENSE FORM LE-6), a new condition has been added as Condition 2, viz: - "The display fireworks shall be stored in a licensed magazine and displayed only at the places shown in the plan attached to the licence. The magazine shall be at least two hundred meters away from the display site." This imposition has been generally perceived to be very restrictive and unwarranted. This will be evident from the fact that in Table 3 of Schedule VIII of the pre-amended rules, the maximum safety distance for magazine of category "X" fireworks even for a quantity of 3500 kg was only 45 metres.
- Another condition that has been introduced for the grant of the above licence as Condition 6 viz: - "A shed for assembling of the fireworks for display purpose shall be at a distance of minimum twenty meters from fireworks storage magazine and minimum one hundred meters from the display site." The Assembly Unit will be empty during the display of fireworks and therefore the stipulation of this minimum distance defies logic and makes fireworks operations unnecessarily difficult.



- A third condition that has been introduced as Condition 22 viz: - "No tools, implements etc. made of iron or steel except mortars used for display shall be kept at any time in the premises and no person on the licensed premises shall have any iron or steel in his possession or on his boots or shoes." This will render the traditional method of using iron pegs and iron hooks for propulsion and grip impracticable. The transition to alternative methods will need time for the adaptation and necessary re-skilling. Till this is done, it is only reasonable that the operation of this condition be kept on hold.

The Government of Kerala appreciates the need for imposing stringent conditions and ensuring rigorous standards and safety in the use and handling of fireworks. But such standards should be implemented only after a comprehensive assessment of the potential adverse consequences. Unless this is done, the implementation of the conditions listed above may pose insurmountable hurdles for the places of religious worship in the State.

I request you that the conditions listed above may be kindly kept on hold till a comprehensive assessment is done. From our side, we would welcome any initiative from you to form a team to conduct such an assessment before the new rules are implemented.

With regards,

Yours sincerely,



Pinarayi Vijayan

Shri. Piyush Goyal
Hon'ble Minister of Commerce & Industry,
Government of India
Vanijya Bhawan, New Delhi - 110001.

Copy to: - Special Secretary
Revenue (Dev.) Dept.





भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16102024-257944
CG-DL-E-16102024-257944

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 577]

नई दिल्ली, सोमवार अक्टूबर 14, 2024/ आश्विन 22, 1946

No. 577]

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 14, 2024/ ASHVINA 22, 1946

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय,

(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अक्टूबर, 2024

सा. का. नि. 633 (अ).—विस्फोटक अधिनियम, 1884 (1884 का 4) की धारा 18 की उप-धारा (1) की अपेक्षा के अनुसार, विस्फोटक नियम, 2008 में संशोधन करने हेतु प्रारूप नियम, भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग) की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 570(अ), तारीख 18 जून 2018 द्वारा भारत के राजपत्र, भाग-II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किए गए थे और उस राजपत्र की प्रतियां जिनसे इन नियमों के प्रभावित होने की संभावना है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना में अंतर्विष्ट राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करायी गई थी 45 दिन की अवधि की समाप्ति के पूर्व आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए गए थे।

और उक्त राजपत्र की प्रतियां 18 जून, 2018 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में जनता से प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर उचित रूप से विचार किया गया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, विस्फोटक अधिनियम, 1884 की धारा 5 और धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विस्फोटक नियम, 2008 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विस्फोटक (संशोधन) नियम, 2024 है।
 - (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. विस्फोटक नियम, 2008 में जिसे इसमें (इसके पश्चात् इसे उक्त नियम कहा गया है) नियम 2, में-
 - (क) खण्ड (11) में, "मुख्य नियंत्रक" शब्दों के पश्चात् शब्द "या नियंत्रक" को अंतःस्थापित किया जाएगा।
 - (ख) खण्ड (18) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्-

'(18क) "निर्वहन स्थल (डिस्चार्ज साइट)" से वह क्षेत्र अभिप्रेत है, जो आतिशबाजी के बाहरी प्रदर्शन के लिए प्रयुक्त आतिशबाजी के निकटतम आस-पास का क्षेत्र है;'
 - (ग) खण्ड (19) के लिए, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्:-

'(19) "प्रदर्शन आतिशबाजी" से ऐसी विनिर्मित आतिशबाजी अभिप्रेत है, जो दृश्य या श्रव्य प्रभाव उत्पन्न करने के लिए आतिशबाजी के प्रदर्शन हेतु साइट पर एकत्र की जाती है;'
 - (घ) खण्ड (24क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्:-

'(24क) "हवाई आतिशबाजी" से ऐसे कम जोखिम वाले विस्फोटक अभिप्रेत है, जो ध्वनि, कई ध्वनियां, प्रकाश, रंग और पॉयरो टेक्नीक प्रभाव या एकसाथ विभिन्न प्रभावों का संयोजन पैदा करने के लिए साइट पर उपयोग के लिए तैयार रूप में है, जिसमें गोला और रॉकेट सम्मिलित है, लेकिन इसमें ऐसी आतिशबाजी सम्मिलित नहीं है जिसका व्यास 1 इंचसे कम या ऊंचाई 6 इंच से कम है।
 - (ङ) खण्ड (25क) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

(25ख) "आतिशबाजी प्रदर्शन सहायक" से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत है, जो मुख्य नियंत्रक या नियंत्रक द्वारा मान्यता प्राप्त है और जो आतिशबाजी के उपकरणों की स्थापना, मोर्टार लोड करने, आतिशबाजी सुलगाने और डिस्चार्ज स्थल की सफाई के लिए आतिशबाजी प्रदर्शन ऑपरेटर की सहायता करता है;

'(25ग) "आतिशबाजी प्रदर्शन ऑपरेटर" से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत है, जो मुख्य नियंत्रक या नियंत्रक द्वारा मान्यता प्राप्त है और आतिशबाजी प्रदर्शन के प्रचालन और सुरक्षा के लिए उत्तरदायी है;'
 - (च) खण्ड (30) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

(30क) "लोडर" से ऐसे सहायक अभिप्रेत है, जो हवाई गोले और अन्य आतिशबाजी प्रदर्शन वस्तुओं को लोड करता है;'
 - (छ) खण्ड (35) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

(35क) "मॉनीटर" से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत है, जो किसी अनधिकृत व्यक्ति को आतिशबाजी प्रदर्शन स्थल में प्रवेश करने से रोकता है या उसे नियंत्रित करता है;।
3. उक्त नियमों के नियम 10 के उप-नियम (6) में "प्रणाली या उपकरण" शब्दों के पश्चात् "केन्द्रीय सरकार द्वारा विकसित विस्फोटक ट्रैकिंग और ट्रैसिंग सॉफ्टवेयर के साथ लोड किए गए बारकोड रीडर्स को छोड़कर" शब्दोंको अंतःस्थापित किया जाएगा।
4. उक्त नियमों के नियम 24 के लिए,

(क) उप-नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(1) इन नियमों के अधीन विस्फोटकों के विनिर्माण, कब्जे, विक्रय, प्रयोग या परिवहन के लिए अनुज्ञप्ति धारक कोई व्यक्ति या संगठन या कंपनी, अनुसूची 5 के भाग 5 में विनिर्दिष्ट प्रारूप में अभिलेखों का अनुरक्षण करेगा और नियम 128 के उप-नियम (1) के अधीन सारणी में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा मांग किए जाने पर ऐसे अभिलेख प्रस्तुत करेगा।"

(ख) उप-नियम (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(3) अनुज्ञप्तिधारक विनिर्मित, प्राप्त, विक्रय किए गए या अन्तरित या प्रयुक्त अथवा नष्ट किए हुए या आयातित या निर्यातित विस्फोटकों (आतिशबाजी सेभिन्न) की त्रैमासिक विवरणी नियंत्रक और जिला मजिस्ट्रेट को प्रत्येक आगामी तिमाही के दस दिनों के भीतर केन्द्रीय सरकार द्वारा विस्फोटकों की ट्रेकिंग एवं ट्रेसिंग के लिए विकसित ऑनलाइन प्रणाली में प्रस्तुत करेगा।"

5. उक्त नियमों के नियम 51 के उप-नियम (2) के परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात्:-

"परन्तु यदि परिवहन किया जाने वाला विस्फोटक श्रेणी 2 का हो, तो विस्फोटकों की मात्रा बीस टन या वैन की अधिकतम वहन क्षमता, इनमें से जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी और ऐसी वैन का डिजाइन मुख्य नियंत्रक या नियंत्रक द्वारा अनुमोदित किया जाएगा और इसे मुख्य नियंत्रक द्वारा मान्यता प्राप्त फैब्रिकेटर द्वारा विनिर्मित किया जाएगा।"

6. उक्त नियमों के नियम 66 के परन्तुक में "किलोग्राम आतिशबाजी" शब्दों के पश्चात "या एक हजार किलोग्राम सेफ्टी फ्यूज या उसका संयोजन", शब्दों को अंतः स्थापित किया जाएगा।

7. उक्त नियमों के नियम 74 में, उप-नियम (3) के पश्चात, निम्नलिखित उप-नियम अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(4) विनिर्माण इकाइयों से जुड़ी मैगजीन के मामले में कुल भंडारण क्षमता विनिर्माण के लिए अनुज्ञात विस्फोटकों की उस श्रेणी की प्रतिदिन विनिर्माण क्षमता से कम नहीं होगी;"।

8. उक्त नियमों के नियम 102 में, उप-नियम (2) में, खण्ड (ख) में, "समान" शब्दों के पश्चात "परन्तु विद्यमान सुरक्षा दूरी को लांघा नहीं जाएगा" शब्दों को अंतः स्थापित किया जाएगा।

9. उक्त नियमों के नियम 103 में, उप-नियम (7) में, "छह" शब्दके स्थान पर "तीन" शब्द रखा जाएगा।

10. उक्त नियमों के नियम 107 में, उप-नियम (6) के पश्चात, निम्नलिखित उप-नियम अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(6क) आतिशबाजी प्रदर्शन ऑपरेटर या आतिशबाजी प्रदर्शन सहायक प्रमाण पत्र प्रदान करने के आवेदन के मामले में, मुख्य नियंत्रक या नियंत्रक, नियम 113 की मद संख्या (26) में विनिर्दिष्ट दस्तावेजों और फोरमैन के प्रमाण पत्र के लिए यथा विनिर्दिष्ट शुल्क की प्राप्ति पर प्रमाण पत्र प्रदान करने से पहले आवश्यक समझी जाने वाली परीक्षा ली जाएगी और पूछताछ की जाएगी।

(6ख) इस बात से संतुष्ट होने पर कि आवेदक को आतिशबाजी प्रदर्शन से संबंधित क्षेत्र में पर्याप्त ज्ञान और अनुभव है, अनुज्ञप्ति प्राधिकारी प्रपत्र एलई-11 (क) में प्रमाण पत्र प्रदान करेंगे।

(6ग) उप-नियम (6ख) के अधीन प्रदान किए गए प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा।

(6घ) प्रमाण-पत्र समाप्त होने पर उसे अगले पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है, जिसके लिए आवेदन पत्र और आवेदन प्रपत्र एलई-11 (क) में उल्लिखित दस्तावेजों की प्राप्ति और प्रमाण पत्र प्रदान करने के मामले में प्रक्रियाओं को पूरा करना होगा।"

11. उक्त नियमों के नियम 113 में, सारणी में-

(क) क्रम संख्या 1 के सामने दर्शाई गई प्रविष्टियों में, स्तंभ 2 में "आतिशबाजी या गन पाउडर या दोनों" शब्द के पश्चात, "हवाई और प्रदर्शनकारी आतिशबाजी वस्तुओंको छोड़कर" शब्द को अंतः स्थापित किया जाएगा;

(ख) क्रम संख्या 20 के सामने दर्शायी गई प्रविष्टियों में-

(i) स्तम्भ 2 में, प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए अधिकतम दो हजार किलोग्राम आतिशबाजी रखने और उपयोग करने के लिए अनुज्ञप्ति"।

(ii) स्तंभ 6 की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियों को रखा जाएगा, नामतः:-

1. "(क) प्रपत्र एई -6;
2. डिस्चार्ज साइट की लंबाई-चौड़ाई, दर्शकक्षेत्र, पार्किंग क्षेत्र, सुरक्षित क्षेत्र, निकासी पथ, संबद्ध अलग-अलग दूरी क्षेत्र और प्रदर्शन क्षेत्र के छोर से 250 मीटरकेदायरे के भीतर की संरचनाओं को दर्शाने वाला साइट प्लान;
3. सार्वजनिक प्रदर्शन आयोजित किए जाने की तारीख और समय;
4. प्रदर्शन में उपयोग की जाने वाली आतिशबाजी के प्रकार;
5. प्रदर्शन में उपयोग की जाने वाली आतिशबाजी के आपूर्तिकर्ता का नाम, पता और अनुज्ञप्ति संख्या;
6. नियम 2 के अनुसार अधिभोगी के रूप में नामांकन के दस्तावेजी साक्ष्य के साथ अधिभोगी का पासपोर्ट साइज का फोटो;
7. नियम 107 के उप-नियम (6क) के अनुसार शुल्क;
8. सार्वजनिक देयता बीमा;
9. जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट;
10. ऑनसाइट आपातकालीन योजना;
11. आतिशबाजी प्रदर्शन ऑपरेटर और आतिशबाजी प्रदर्शन सहायक के प्रमाण पत्रों की प्रतियां;
12. आवेदक के पक्ष में जारी साइट पर मैगजीन अनुज्ञप्ति की प्रति।";

(ग) क्रम संख्या 25 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

1	2	3	4	5	6
"26	आतिशबाजी प्रदर्शन ऑपरेटर या आतिशबाजी प्रदर्शन सहायक प्रमाण पत्र	12	एलई-11(क)	अपेक्षित नहीं	(i) प्रपत्र एई-11(क); (ii) पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ की दो प्रतियां; (iii) अनुभव प्रमाण पत्र; (iv) जन्म तिथि का प्रमाण;

				(v) मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट; (vi) पहचान का प्रमाण;"।
--	--	--	--	--

12. उक्त नियमों की अनुसूची 4 में, भाग I में, सारणी की मद संख्या 11 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित मद और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"12	आतिशबाजी प्रदर्शन ऑपरेटर या आतिशबाजी प्रदर्शन सहायक प्रमाण पत्र	एलई-11(क)	विस्फोटक नियंत्रक"
-----	---	-----------	--------------------

13. उक्त नियमों की अनुसूची 5 में, -

(क) भाग 1 में, प्रपत्र एई-11 के पश्चात्, निम्नलिखित प्रपत्र अंतःस्थापित किया जाएगा, नामतः -

प्रपत्र एई-11(क)

(नियम 113 देखें)

आतिशबाजी प्रदर्शन ऑपरेटर या आतिशबाजी प्रदर्शन सहायक प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु आवेदन

मैं आतिशबाजी के प्रदर्शन की निगरानी/सहायता करने के लिए आतिशबाजी प्रदर्शन ऑपरेटर/आतिशबाजी प्रदर्शन सहायक प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करता हूँ (जो सुसंगत न हो, उसे काट दें)।

आवश्यक विवरण नीचे दिए गए हैं और अपेक्षित दस्तावेज संलग्न हैं।

(1) आवेदक का पूरा नाम :

(2) आवेदक की आयु :

(3) पिता का नाम :

(4)(क) डाक पता :

.....

.....

---- शहर-----

जिला-----राज्य-----पिन कोड-----

पुलिस स्टेशन-----रेलवे स्टेशन-----

टेलीफोन -----ई मेल-----फैक्स----- (ख) आवासीय

पता -----

सर्वे नंबर-----शहर-----

जिला-----राज्य-----पिन कोड-----

पुलिस

स्टेशन-----रेलवे स्टेशन-----

टेलीफोन -----

ई मेल-----फैक्स----- -

(5) आवेदक की अर्हताएं और अनुभव -----

(6) उस आतिशबाज़ी प्रदर्शन स्थल का नाम और पता जहां आवेदक ने अनुभव प्राप्त किया है -----

7. कोई अन्य जानकारी-----

मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि ऊपर दिए गए विवरण सही है।

तारीख..... आवेदक के हस्ताक्षर.....

स्थान.....

(टिप्पण: कृपया आवेदन के साथ निम्नलिखित संलग्न करें)

1. पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ की दो प्रतियां;
2. अनुभव प्रमाण पत्र;
3. जन्मतिथि का प्रमाण;
4. मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट;
5. पहचान का प्रमाण

विधिक चेतावनी:विस्फोटकों के गलत संचालन और दुरुपयोग पर विधि के उपबंध लागू होंगे।

(ख) भाग 3 में,-

(i) प्रपत्र एलई-6 के स्थान पर निम्नलिखित प्रपत्र को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

अनुज्ञप्ति प्रपत्र एलई-6

(विस्फोटक नियम, 2008 की अनुसूची 4 के भाग 1 की मद 6 देखें)

सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए अधिकतम 2000 किलोग्राम आतिशबाज़ी रखने और उपयोग करने के लिए अनुज्ञप्ति

अनुज्ञप्ति

सं.....

शुल्क रुपए

1. निम्नलिखित को अनुज्ञप्ति प्रदान की जाती है:

नाम:

पता

शहर.....जिला.....राज्य.....

पिन कोड.....

पुलिस थाना रेलवे स्टेशन

एसटीडी कोड सहित फोन नंबर..... मोबाइल नंबर

ई-मेल फैक्स

2. अनुज्ञप्तिधारी की स्थिति:.....

3. अनुज्ञप्ति निम्नलिखित प्रयोजन के लिए वैध है:.....

.....
.....
.....

4. अनुज्ञप्त परिसर निम्नलिखित ड्राइंग के अनुरूप होगा/होंगे:

साइट प्लान ड्राइंग संख्या तारीख

लेआउट ड्राइंग संख्या.....तारीख.....

5. प्रदर्शन अनुज्ञप्त परिसर निम्नलिखित पते पर स्थित है:

सर्वे संख्याशहर/कस्बा गांव

जिला.....राज्य.....

पिन कोड.....

पुलिस स्टेशन.....रेलवे स्टेशन.....

एसटीडी कोड सहित फोन नं..... मोबाइल नं.....

ई-मेल फैक्स

6. अनुज्ञप्ति समय-समय पर यथा संशोधित विस्फोटक अधिनियम, 1884 के उपबंध और उसके अधीन बनाए गए विस्फोटक नियम, 2008 और संलग्न शर्तों और अनुबंधों के अधीन प्रदान की जाती है:

(I) उपरोक्त क्रम संख्या 4 में यथा निर्दिष्ट ड्राइंग (साइट और अन्य विवरण दर्शाते हुए) ।

(II) अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित इस अनुज्ञप्ति की शर्तें।

(III) प्रदर्शित की जाने वाली आतिशबाजी का विवरण और मात्रा

क्र. सं.	प्रदर्शित किए जाने वाले विस्फोटकों का ब्यौरा	आकार	वजन	मदों की संख्या	मात्रा किग्रा में	मु.वि.नि. अनुमोदन संख्या
कुल						

• दो हजार किलोग्राम की क्षमता के लिए बीस लोगो की सीमा निर्धारित है।

7. अनुज्ञप्ति तारीख20..... तक वैध रहेगी (अधिकतम एक मास)

प्रदर्शन का समयसे..... ।

यह अनुज्ञप्ति, उक्त अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या इस अनुज्ञप्ति की शर्तों का अधिक्रमण करने या अनुज्ञप्त परिसर के योजना या उससे संलग्न अनुबंधों में दर्शाए गए विवरण के अनुरूप नहीं पाए जाने पर निलंबित या निरस्त की जा सकती है।

तारीख.....20.....

अनुज्ञापन प्राधिकारी के हस्ताक्षर, पदनाम और सील

(जिला मजिस्ट्रेट)

कानूनी चेतावनी:विस्फोटकों के गलत संचालन और दुरुपयोग पर विधि के उपबंध लागू होंगे।

शर्तें

1. अनुज्ञप्तिधारी आतिशबाजी का प्रदर्शन करने से पंद्रह दिन पूर्व अनुज्ञापन प्राधिकारी को निम्नलिखित सूचना देगा:

(क) साइट तैयार करना और अपनी तैयारी करना।

(ख) आतिशबाजी प्रदर्शन संचालक, आतिशबाजी प्रदर्शन सहायक, मॉनिटर्स और लोडर्स के नाम, पता और संपर्क नंबर।

2. प्रदर्शन आतिशबाजी को अनुज्ञप्ति प्राप्त मैगजीन में संग्रहित किया जाएगा तथा अनुज्ञप्ति के साथ संलग्न योजना में दर्शाए गए स्थानों पर ही प्रदर्शित किया जाएगा। मैगजीन प्रदर्शन स्थल से कम से कम दो सौ मीटर की दूरी पर होगी।

3.(i) प्रदर्शन आतिशबाजी को पहले से ही मैगजीन में लाया और रखा जाएगा।

(ii) प्रदर्शन आतिशबाजी के नमूने अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा लिए जाएंगे और प्रदर्शन आतिशबाजी के विनिर्माण में प्रतिबंधित रसायनों के उपयोग का पता लगाने के लिए विश्लेषण हेतु राज्य सरकार की रासायनिक परीक्षक प्रयोगशाला को भेजे जाएंगे।

4. प्रभावी बैरिकेडिंग द्वारा दर्शकों और उस क्षेत्र के बीच न्यूनतम 100 मीटर की दूरी बनाए रखी जाएगी, जहां प्रदर्शन किया जाता है।

5. (i) प्रदर्शन के लिए मुख्य नियंत्रक द्वारा अनुमोदित आतिशबाजी का ही प्रदर्शन के लिए उपयोग किया जाएगा।

(ii) ऐसी आतिशबाजी के विनिर्माण के लिए वैध अनुज्ञप्ति रखने वाले व्यक्तियों से प्रदर्शन आतिशबाजी खरीदी जाएगी।

(iii) आतिशबाजी को प्रदर्शन के लिए ले जाने से पहले किसी भी दोष के लिए दृष्टिगत रूप से जांच की जाएगी और ऐसी दोषपूर्ण आतिशबाजी का प्रदर्शन के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा।

6. प्रदर्शन उद्देश्य के लिए आतिशबाजी के संयोजन के लिए एक शेड आतिशबाजी भंडारण मैगजीन से न्यूनतम 20 मीटर की दूरी पर और प्रदर्शन स्थल से न्यूनतम 100 मीटर की दूरी पर उपलब्ध कराया जाएगा।

7. आतिशबाजी में क्लोरेट या प्रतिबंधित विस्फोटक मिश्रण नहीं होना चाहिए।

8. किसी भी आतिशबाजी में लिथियम, एंटीमनी, मर्करी, आर्सेनिक, लेड और स्ट्रोंशियम क्रोमेट या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन के तहत प्रतिबंधित कोई अन्य रसायन नहीं होना चाहिए।

9. जब हवा की गति 50 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक हो या दर्शकों पर नियंत्रण खो गया हो तो आतिशबाजी का कोई प्रदर्शन नहीं किया जाएगा।
 10. आतिशबाजी के संयोजन और प्रदर्शन के लिए कम से कम व्यक्तियों को नियोजित किया जाएगा।
 11. साइट की लगातार निगरानी की जाएगी और वहां कार्यरत व्यक्तियों को सुरक्षात्मक कपड़े, कान के लिए सुरक्षा उपकरण, सुरक्षा चश्मा और अन्य सुरक्षात्मक उपकरण पहनने होंगे।
 12. एक बार आतिशबाजी को साइट पर ले जाने के बाद, साइट को बिना निगरानी या असुरक्षित नहीं छोड़ा जाएगा।
 13. किसी भी टेंट, ट्रेलर, वाहन के कैनवस शेल्टर के 15 मीटर के अंदर या उसके करीब कोई आतिशबाजी नहीं जलाई जाएगी।
 14. किसी भी आतिशबाजी को किसी अस्पताल, नर्सिंग होम, विद्यालय से 250 मीटर के अंदर तब तक नहीं छोड़ा जाएगा जब तक कि स्थानीय प्राधिकारियों से और उसके मालिक या अभिकर्ता से सहमति प्राप्त न कर ली गई हो।
 15. अग्निशमन सेवा अधिकारियों के परामर्श से पर्याप्त अग्निशमन उपकरण, सुविधाएं और प्राथमिक चिकित्सा प्रदान की जाएगी।
 16. प्रदर्शन के पश्चात्, अपशिष्ट और अन्य वस्तुओं आदि को सावधानीपूर्वक एकत्रित किया जाएगा, उन्हें स्थल से हटा कर किसी सक्षम प्राधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्यक् सावधानी बरतते हुए जला कर नष्ट कर दिया जाएगा।
 17. अनुज्ञप्तिधारी, अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों का या जिस रूप में वे अन्यथा लागू हो, का अनुपालन करेगा।
 18. जहां आतिशबाजी रखी गई है, उसके 15 मीटर के दायरे में कोई भी विद्युत तार नहीं लगाया जाएगा।
 19. प्रदर्शन के लिए प्रयुक्त लोहे की मार्टरों का आधा हिस्सा भूमि में लगाया जाएगा। एक ही आकार के मार्टरों को इस प्रकार समूहबद्ध किया जाना चाहिए कि वे परस्पर 50 सेंटीमीटर से कम की दूरी पर न हो। विभिन्न आकार के मार्टरों के समूह परस्पर कम से कम 10 मीटर दूरी पर रखे जाने चाहिए। मोर्टार या फ्रेम को भूमि पर मज़बूती से टिकाया जाएगा।
- टिप्पण:** मोर्टार लगाने से पहले उसका निरीक्षण किया जाएगा। दोषपूर्ण मोर्टार का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। मोर्टारों को इस तरह रखा जाएगा कि गोले सुरक्षित क्षेत्र में चलाए जा सकें और आतिशबाजी प्रदर्शन ऑपरेटर/ आतिशबाजी प्रदर्शन सहायक और लोडर को अधिकतम सुरक्षा प्रदान की जा सके।
20. प्रदर्शन प्रारंभ करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाएगा कि आतिशबाजी सुरक्षित क्षेत्र में जलायी जाए और उसका मलबा भी ऐसे ही क्षेत्र में गिरे।
 21. केवल फायर करने के प्रयोजन के सिवाय कोई भी दियासलाईयां, बत्तियां या कोई ज्वलनशील या परिसंकटमय प्रकृति की वस्तु जिससे आग लग सकती हो या विस्फोट हो सकता हो, अनुज्ञप्त परिसरों में न तो लाई जाएगी और न रखी जाएगी।
 22. प्रदर्शन के प्रयुक्त मार्टरों के सिवाय लोहे या इस्पात के बने औजारों, उपकरणों आदि को किसी भी समय परिसर में नहीं रखा जाएगा और अनुज्ञप्त परिसर पर मौजूद किसी भी व्यक्ति के कब्जे में अथवा उसके बूटों या जूतों में कोई लोहा या इस्पात लगा नहीं होगा।
 23. अनुज्ञप्तिधारी को प्राप्त, प्रयुक्त तथा उपलब्ध सभी आतिशबाजी का रिकार्ड और लेखा-जोखा रखना होगा।
 24. अनुज्ञप्तिधारी भंडारण और प्रदर्शन के स्थान पर स्थानीय उप-नियमों का पालन करेगा और जहां अपेक्षित हो, आवश्यक अनुमति प्राप्त करेगा।

25. अनुज्ञप्ति की समाप्ति के पश्चात बचे विस्फोटकों के प्रकार और मात्रा की सूचना अनुज्ञप्ति प्राधिकारी को दी जाएगी और अनुज्ञप्तिधारी विस्फोटकों के निपटान के संबंध में ऐसे प्राधिकारी के निर्देशों का अनुपालन करेगा।
26. यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी अनुज्ञप्तिधारी को लिखित सूचना द्वारा ऐसा कोई परिवर्धन या परिवर्तन करने का निदेश देता है जो ऐसे प्राधिकारी की राय में परिसरों या उसमें काम करने वाले व्यक्तियों या दर्शकों की सुरक्षा के लिए आवश्यक समझे गए हैं, तो अनुज्ञप्तिधारी ऐसे परिवर्धन या परिवर्तन ऐसी अवधि के भीतर जो विहित की जाए, निष्पादित करेगा।
27. अनुज्ञप्तिधारी और उसके कर्मचारी आपातकाल के दौरान परिसर के भीतर की जाने वाली प्रक्रिया से अवगत होंगे।
28. अनुज्ञप्ति परिसरों पर निरीक्षण या नमूना अधिकारी को सभी युक्तियुक्त समयों पर अवधि पहुंच प्राप्त होगी और यह सुनिश्चित करने के लिए ऐसे अधिकारी को प्रत्येक सुविधा दी जाएगी कि अधिनियम और नियमों के उपबंधों का तथा इस अनुज्ञप्ति की शर्तों का सम्यक अनुपालन हो रहा है।
29. यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी अनुज्ञप्तिधारक को लिखित में अनुज्ञप्त परिसर या मशीनरी या औजारों या उपकरण में कोई ऐसी मरम्मत परिवर्धन या परिवर्तन करने या ऐसी सिफारिशों को पूरा करने के लिए सूचित करता है जिसमें ऐसे प्राधिकारी की राय में उससे अवांछनीय जोखिम पैदा हो सकता और इस प्रकार यह परिसर के बाहर या भीतर या व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए अति आवश्यक है तो अनुज्ञप्तिधारी उन सिफारिशों को निष्पादित करेगा और ऐसे प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अनुपालन की रिपोर्ट देगा।
30. आग या विस्फोट से होने वाली दुर्घटनाओं और विस्फोटकों के नुकसान, कमी या चोरी की सूचना तुरंत निकटतम पुलिस स्टेशन और अनुज्ञापन प्राधिकारी को दी जाएगी।
31. आतिशबाज़ी और पायरो टेक्निक की सामग्री को प्रदर्शित करने से पहले ही मोर्टार में लोड किया जाएगा। आतिशबाज़ी के प्रदर्शन के दौरान किसी भी आतिशबाज़ी और आतिशबाज़ी सामग्री को फिर से लोड नहीं किया जाएगा।
32. फ़्यूज़ को इस तरह से फिट किया जाएगा कि मोर्टार में डाले जाने के बाद फ़्यूज़ का कम से कम 15 सेंटीमीटर खोल से बाहर निकल आए।
33. आतिशबाज़ी के विफल होने की स्थिति में, आतिशबाज़ी जलाने के 30 मिनट बाद तक किसी भी व्यक्ति को प्रदर्शन स्थल तक नहीं पहुंचना चाहिए और न ही आने दिया जाना चाहिए।
34. अनुज्ञप्ति प्राधिकारी की देखरेख में साइट पर आपातकालीन योजना की तैयारी का आकलन करने के लिए आतिशबाज़ी के वास्तविक प्रदर्शन से कम से कम दो दिन पहले मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी।
35. अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आतिशबाज़ी प्रदर्शन के संचालन के लिए नियुक्त व्यक्तियों की आसान पहचान के लिए फ्लोरेसेंट स्ट्रिप्स के साथ विशिष्ट रंग की जैकेट पहननी होगी और उनके पास अनुज्ञप्तिधारी द्वारा जारी किए गए पहचान पत्र होंगे।

अनुज्ञापन प्राधिकारी के हस्ताक्षर,
अनुज्ञापन प्राधिकारी का पदनाम और सील
(जिला मजिस्ट्रेट);

(ii) प्रपत्र एलई-11 के पश्चात, निम्नलिखित प्रपत्र अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थातः -

" प्रपत्र एलई-11(क)

आतिशबाज़ी प्रदर्शन ऑपरेटर / आतिशबाज़ी प्रदर्शन सहायक प्रमाणपत्र

(अनुसूची 4 के भाग 1 की मद 11 देखें)

(आतिशबाजी प्रदर्शन ऑपरेटर/आतिशबाजी प्रदर्शन सहायक के लिए योग्यता प्रमाण पत्र)

सं.

आतिशबाजी प्रदर्शन ऑपरेटर/ आतिशबाजी प्रदर्शन सहायक के फोटो के लिए स्थान, हस्ताक्षर सहित

प्रमाणित किया जाता है कि.....(नाम), जिसका जन्म(जन्म तिथि) को हुआ था, जो.....(पता) का निवासी है ने.....(परीक्षा को संचालन करने वाले प्राधिकारी का नाम) द्वारा तारीख.....को आयोजित.....(आतिशबाजी प्रदर्शन ऑपरेटर/ आतिशबाजी प्रदर्शन सहायक परीक्षा)तारीख को उत्तीर्ण कर ली है और विस्फोटक नियम, 2008 के अधीन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए प्रपत्र एलई-6 में विधिवत अनुज्ञप्ति प्राप्त आतिशबाजी के प्रदर्शन की निगरानी/सहायता करने के लिए अधिकृत है।

यह प्रमाण पत्र तक वैध रहेगा (जारी होने की तारीख से पांच वर्ष)। यह प्रमाण-पत्र, अधिनियम या उसके अधीन विरचित नियमों अथवा इस प्रमाण-पत्र की शर्तों का कोई उल्लंघन करने पर या यदि आवेदक द्वारा अपने आवेदन प्ररूप में दी गई सूचना में कोई फर्क या विचलन होता है तो निलम्बित या अभिखंडित कर दिया जाएगा ।

स्थान :

तारीख:.....

[अनुज्ञापन प्राधिकारी केहस्ताक्षर]

कानूनी चेतावनी : विस्फोटकों को गलत ढंग से चलाने या उसका दुरुपयोग, विधि के अधीन गंभीर दांडिक अपराध होगा।

पुनर्विधिमान्यकरण के लिए पृष्ठांकन.....

शर्तें

1. विस्फोटकों के प्रदर्शन के लिए लागू किए जाने वाली सभी स्थानीय विधि और विनियम लागू होंगे ।
2. नशीली शराब, नशीले पदार्थों या अन्य खतरनाक औषधियों के प्रभाव में किसी भीव्यक्ति को विस्फोटक सामग्री के उपयोग की अनुमति नहीं होगी।
3. इस प्रमाणपत्र के धारक उन सभी निदेशों का अनुपालन करेंगे जो अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर सुरक्षा हित में दिए जाएं।
4. अग्नि या विस्फोटक द्वारा दुर्घटनाओं विस्फोटकों की हानि या उसमें कमी या चोरी की रिपोर्ट अनुज्ञप्तिधारी निकटतम पुलिस थाने और संगत क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाले विस्फोटक नियंत्रक को तुरन्त दी जाएगी।

(ग) भाग 4 में, -

(i) सेट-I में, शर्त (25) के पश्चात, निम्नलिखित शर्त अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्-

"(25क) किसी भी आतिशबाजी में लिथियम, एंटीमनी, मर्करी, आर्सेनिक, लेड और स्ट्रोंशियम क्रोमेट या कोई अन्य प्रतिबंधित रसायन शामिल नहीं होंगे";

(ii) सेट-II में,-

(1) शर्त 24क में "कंक्रीट" शब्द के स्थान पर, "काष्ठ" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(2) शर्त (31) के पश्चात, निम्नलिखित शर्त अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्-

"(31क) किसी भी आतिशबाजी में लिथियम, एंटीमनी, मर्करी, आर्सेनिक, लेड और स्ट्रोंशियम क्रोमेट या कोई अन्य प्रतिबंधित रसायन शामिल नहीं होंगे";

(3) शर्त (66) के पश्चात, निम्नलिखित शर्त अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्-

"(66क) किसी भी आतिशबाजी में लिथियम, एंटीमनी, मर्करी, आर्सेनिक, लेड और स्ट्रोंशियम क्रोमेट या कोई अन्य प्रतिबंधित रसायन शामिल नहीं होंगे";

(iii) सेट-9 में, शर्त (3) के पश्चात, निम्नलिखित शर्त अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्-

"(3क) किसी भी आतिशबाजी में लिथियम, एंटीमनी, मर्करी, आर्सेनिक, लेड और स्ट्रोंशियम क्रोमेट या कोई अन्य प्रतिबंधित रसायन शामिल नहीं होंगे";

(iv) सेट-11 में, शर्त (10) के पश्चात, निम्नलिखित शर्त अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्-

"(10क) किसी भी आतिशबाजी में लिथियम, एंटीमनी, मर्करी, आर्सेनिक, लेड और स्ट्रोंशियम क्रोमेट या कोई अन्य प्रतिबंधित रसायन शामिल नहीं होंगे";

14. उक्त नियमों की अनुसूची 7 में, विनिर्देश 3 में, क्रमसं. 1 में, उप-शीर्ष 'ख. विनिर्माण/प्रक्रिया शेड्स' में मद "ग" के लिए, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्-

"ग. छत सीमेंट शीट या 10 सेंटीमीटर मोटी रीइनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीड (आरसीसी) की होगी।"

15. उक्त नियमों की अनुसूची 7 में, विनिर्देश 3 में, क्रम सं. 1 में, उप शीर्षक "च" कच्चे माल की दुकान में मद "ग", के लिए, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्-

"ग. समर्पित चारकोल कक्ष और ऑक्सीडाइजर कक्षों के बीच सुरक्षा दूरी 3 मीटर रखी जाएगी।"

[फा.सं. 2(3)/2019-विस्फोटक]

डॉ.संध्या भुल्लर, संयुक्त सचिव

टिप्पण – मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 907(अ), तारीख 29 दिसम्बर, 2008 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात सा.का.नि. 65(अ) तारीख 24 जनवरी, 2011 और सा.का.नि. 17(अ) तारीख 9 जनवरी, 2019 द्वारा इनमें संशोधन किया गया।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(DEPARTMENT FOR PROMOTION OF INDUSTRY AND INTERNAL TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th October, 2024

G.S.R.633(E).— WHEREAS the draft rules were published to amend the Explosives Rules, 2008, as required by sub-section (1) of section 18 of Explosives Act 1884, (4 of 1884), vide notification of the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry (Department For Promotion Of Industry And Internal Trade) number G.S.R. 570(E), dated the 18th day of June, 2018 in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-Section (i) inviting objections and suggestions from all the persons likely to be affected thereby, before the expiry of a period of forty-five days from the date on which the copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS copies of the said Gazette were made available to the public on 18th day of June, 2018;

AND WHEREAS objections and suggestions were received from the public on the said draft rules, have been duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by sections 5 and 7 of the Explosives Act, 1884, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Explosives Rules, 2008, namely:-

1. (1) These rules may be called the Explosives (Amendment) Rules, 2024.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Explosives Rules, 2008 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 2:-
 - a. in clause (11) after the words "Chief Controller" the words "or Controller" shall be inserted;
 - b. after clause (18), the following clause shall be inserted, namely:-
'(18A) "discharge site" means the area immediately surrounding the fireworks used for an outdoor display of fireworks';
 - c. for clause (19), the following clause shall be substituted, namely:-
'(19) "display fireworks" means a group of manufactured fireworks to be assembled at site for fireworks display to produce visible or audible effects or both';
 - d. for clause (24A) the following clause shall be substituted, namely:-
'(24A) "aerial fireworks" means low hazard explosives, with a lifting charge and an aerial function charge to cause sound, multiple sounds, light, colour and any pyro technique effect or combination of various effects in an assembled form ready to use at site, including shells and rocket, but not including fireworks item whose contrivances is of diameter less than one inch or height less than six inch';
 - e. after clause (25A), the following clauses shall be inserted, namely:-
'(25B) "fireworks display assistant" means a person recognised by the Chief Controller or Controller, to assist the fireworks display operator for the purpose of setting up of the equipments of fireworks, loading mortars, igniting the fireworks and cleaning the discharge site';

'(25C) " fireworks display operator" means a person recognised by the Chief Controller or Controller who is responsible for the operations and safety of fireworks display';
 - f. after clause (30), the following clause shall be inserted, namely:-

‘(30A) "loader" means an assistant who loads aerial shells and other fireworks display items’;

g. after clause (35), the following clause shall be inserted, namely:-

‘(35A) "monitor" means a person who controls or prevents any unauthorised person from entering into the discharge site of display fireworks’;

3. In rule 10 of the said rules, in sub-rule (6), after the words “system or devices”, the words “except barcode readers loaded with system for explosives tracking and tracing software developed by the Central Government” shall be inserted.

4. For rule 24 of the said rules,

a. for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(1) Every person or organisation or company holding a licence under these rules for manufacture, possession, sale, use or transport of explosives shall maintain records in the forms specified in Part 5 of Schedule V and shall produce such records on demand to the authority specified in the Table under sub-rule (1) of rule 128.”;

b. for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(3) The licensee shall submit quarterly returns of explosives (other than fireworks) manufactured, received, sold or transferred or used or destroyed or imported or exported to the Controller and District Magistrate in the online system for explosives tracking and tracing developed by the Central Government within ten days of every succeeding quarter.”;

5. In rule 51 of the said rules, in sub-rule (2), for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely:-

“Provided that if the explosive to be transported is of class 2, the quantity shall not exceed twenty tonnes or the maximum carrying capacity of the van, whichever is less and the design of such van shall be approved by the Chief Controller or Controller and be manufactured by the fabricator recognised by the Chief Controller.”

6. In rule 66 of the said rules, in the proviso after the words “kilograms of fireworks”, the words “or one thousand kilograms of safety fuse or combination thereof shall be inserted.

7. In rule 74 of the said rules, after sub-rule (3), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(4) In case of magazines attached to manufacturing unit the total storage capacity shall not be less than the per day manufacturing capacity of that class of explosives licensed for manufacturing."

8. In rule 102 of the said rules, in sub-rule (2), in clause (b), after the words “the same”, the words “provided that the existing safety distance shall not be encroached” shall be inserted.

9. In rule 103 of the said rules, in sub-rule (7), for the word “six”, the words “three” shall be substituted.

10. In rule 107 of the said rules, after sub-rule (6), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(6A) In case of application for grant of fireworks display operator or fireworks display assistant certificate, the Chief Controller or Controller on receipt of documents specified in item number (26) of rule 113 and the fee as specified for Foreman’s certificate shall conduct such examination and enquiries as deemed necessary before granting the certificate.

(6B) The licensing authority on being satisfied that the applicant has adequate knowledge and experience in related field of display fireworks, he shall grant the certificate in Form LE-11(A).

(6C) The certificate granted under sub-rule (6B) shall be valid for a period of five years from the date of issue.

(6D) The certificate on its expiry may be renewed for a period of five year on receipt of an application and documents in application form AE-11(A) and completion of procedures as in the case of grant of certificate".

11. in rule 113 of the said rules, in the Table,

- a. in the entries against serial number 1, in column 2, after the word "fireworks or gunpowder or both", the words "excluding aerial and display fireworks items" shall be inserted;
- b. in the entries against serial number 20-
 - i. in column 2, for the entries, the following entries shall be substituted, namely:-
"Licence to possess and use fireworks for public display not exceeding two thousand kilograms";
 - ii. in column 6, for the entries, the following entries shall be substituted, namely:—
 1. "Form AE-6;
 2. Site plan showing dimensions of the discharge site, spectator viewing area, parking area, the safe area, egress path, associated separation distances and structures within two hundred fifty meters radius from the edge of display facility;
 3. Date and time at which the public display is to be held;
 4. The types of fireworks to be used in display;
 5. Name, address and licence number of the supplier of fireworks for use in display;
 6. Passport size photograph of the occupier along with documentary evidence of nomination as occupier as per rule 2;
 7. Fee as per sub-rule (6A) of rule 107;
 8. Public liability insurance;
 9. Risk assessment report;
 10. Onsite emergency plan;
 11. Copies of the certificate of Fireworks Display Operator and Fireworks Display Assistant;
 12. Copy of the magazine license at the site issued in favour of applicant.";
- c. after serial number 25 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

1	2	3	4	5	6
"26	Fireworks display operator or Fireworks display assistant certificate	12	LE-11(A)	Not required	(i) Form AE-11(A); (ii) Two copies of pass-port size photograph; (iii) Experience certificate; (iv) Proof of date of birth; (v) Medical fitness certificate; (vi) Proof of identity;".

12. in Schedule IV of the said rules, in part I, after article number 11, in the table, and the entries relating thereto, the following article and entries shall be inserted, namely:-

1	2	3	4
"12	Fireworks display operator or Fireworks display assistant certificate	LE-11(A)	Controller of Explosives."

13. In Schedule V of the said rules,-

(a) in Part 1, after Form AE-11, the following Form shall be inserted, namely:-

"FORM AE-11(A)

(See rule 113)

Application for grant of Fireworks Display Operator or Fireworks Display Assistant Certificate

I..... hereby apply for a fireworks display operator/ fireworks display assistant certificate to supervise/assist display of fireworks (strike off which is not relevant).

The necessary particulars are given below and required documents are enclosed.

1. Name of the applicant in full :

.....

2. Age of the applicant :

.....

3. Father's name :

.....

4. (a) Postal address

.....

.....

.....

.....City

.....

District.....State.....Pin code.....

Police Station.....Railway Station

Phone.....E- mail.....Fax.....

(b)Residential address:

.....

.....

.....Survey number.....City.....

District.....State.....Pin code.....

Police Station.....Railway Station.....

Phone.....E-mail.....Fax.....

5. Qualifications and experience of the applicant.....

6. Name and address of the fireworks display site where the applicant has acquired experience

.....

.....

7. Any other information.....

I certify that the above particulars are true and correct.

Date:

Signature of applicant.....

Place :

(Notes: Please attach the following with the application)

1. Two copies of pass-port size photograph.
2. Experience certificate.
3. Certificate of proof of age
4. Medical fitness certificate
5. Proof of identity

Statutory Warning: Mishandling and misuse of explosives shall attract the provisions of law.

(b) in Part 3,-

(i) for Form LE-6, the following Form shall be substituted, namely:-

"LICENCE FORM LE-6

(See article 6 of Part 1 of Schedule IV of the Explosives Rules, 2008)

**Licence to possess and use fireworks for public display not exceeding 2000
kilogram's at a time**

Licence No.....

Fees Rs.....

1. Licence is hereby granted to :

Name:

Address:.....city.....Di
strict.....State.....

Pin Code.....

Police Station.....Railway Station

Phone with STD Code.....Mobile No.....

E-mail.....Fax.....

2. Status of licensee:.....

3. Licence is valid for the following purpose :

.....

.....

.....

4. The licensed premises shall conform to the following drawing (s):

Site plan Drawing No.....dated.....

Layout Drawing No.....dated.....

5. The display licensed premises are situated at following address :

Survey number.....City/Town village.....

District.....State.....

Pin Code.....

Police Station.....Railway Station.....

Phone No with STD code..... Mobile No.....

E-mail.....Fax.....

Space for photograph of the licensee or occupier with signature

6. The licence is granted subject to the provision of Explosives Act, 1884 and the Explosives Rules, 2008 made there under and the conditions and the following annexures:
- I. Drawings (showing site and other details) as provided in serial number 4 above.
 - II. Conditions of this licence signed by the licensing authority.
 - III. Description and quantity of fireworks to be displayed

Sl.No.	Description of fireworks to be displayed	Size	Weight	Number of items	Quantity in kgs.	CCE approval Number
Total						

- Man limit of twenty people is restricted for a capacity of two thousand kilograms and thereof.
7. This licence shall remain valid till..... day of20.....(maximum one month) Time of display to

This licence is liable to be suspended or revoked for any violation of the Act or rules framed thereunder or the conditions of this licence or if the licensed premises are not found conforming to the description shown in the plans and annexures attached hereto.

The.....20...

Signature, Designation and seal of licensing authority

(District Magistrate)

Statutory warning: Mishandling and misuse of explosives shall attract the provisions of applicable law.

CONDITIONS

1. The licensee shall intimate the licensing authority fifteen days before conducting fireworks display:
 - a. Readiness of the site and his preparedness
 - b. Names, addresses and contact number of fireworks display operators, fireworks display assistants, monitors and loaders.
2. The display fireworks shall be stored in a licensed magazine and displayed only at the places shown in the plan attached to the licence. The magazine shall be at least two hundred meters away from the display site.
3.
 - (i) Display fireworks shall be brought and kept in magazine well in advance.
 - (ii) Samples of display fireworks shall be drawn by the licensing authority and sent to Chemical Examiner's Laboratory of the State Government for analysis to detect the use of prohibited chemicals in manufacture of display fireworks.
4. A minimum distance of one hundred meter shall be maintained between the spectators and the area where the display is carried out by effective barricading.
5.
 - (i) Only fireworks approved by Chief Controller for display shall be used for display.
 - (ii) Display fireworks shall be procured from person holding valid licence granted to manufacture such fireworks.

(iii) Fireworks before being taken for display shall be examined and defective fireworks shall not be used for display.

6. A shed for assembling of the fireworks for display purpose shall be at a distance of min twenty meters from fireworks storage magazine and minimum onehundred meters from the display site.
7. No fireworks shall contain chlorate or prohibited explosives mixture.
8. No fireworks shall contain antimony, lithium, mercury, arsenic, lead and strontium chromate or any other chemicals prohibited under law for time being in force.
9. No display of fireworks shall be carried out when the wind velocity exceeds 50 kilometer per hour or the control over spectators has been lost.
10. Only minimum persons shall be employed for assembling and display of fireworks.
11. The site shall be constantly supervised and the persons employed shall wear protective clothes, ear defenders, safety glasses and other protective devices.
12. Once fireworks taken to the site, the site shall not be left unattended or unprotected.
13. No fireworks shall be ignited inside of or closer than 15 meters of any tent, trailer, canvas shelter of vehicle.
14. No fireworks shall be ignited within 250 meters of a hospital, nursing home, schools unless consent from local authorities and the owner or its agent is obtained.
15. Adequate firefighting equipments, facilities and first-aids shall be provided in consultation with the fire service authorities.
16. After the display, the wastes and remnants shall be carefully collected, removed from the site and destroyed by burning under supervision of a competent person, taking due precautions.
17. The licensee shall follow the provisions of the Act and these rules made there under as otherwise applicable.
18. No electrical wire shall be allowed within 15meter of the area where the fireworks are laid down.
19. Half the length of the iron mortars used for display shall be buried in the ground. The mortars of the same size shall be grouped and spaced not less than 50cm apart. Groups of different size mortars shall be placed at least 10 meter apart. The mortars or frames shall be securely anchored to the ground.

Note: Mortars shall be inspected prior to placement. Defective mortars shall not be used. Mortars shall be positioned and spaced so that shells are propelled over the safe area and to afford maximum protection to the Fireworks Display Operator/ Fireworks Display Assistant and the loader.
20. Before starting the display it shall be ensured that the fireworks explode and the debris fall in the safe area.
21. No matches, lights or any article of flammable or hazardous nature liable to cause fire or explosion shall be brought or kept in the licensed premises except for firing purpose only.
22. No tools, implements etc. made of iron or steel except mortars used for display shall be kept at any time in the premises and not person on the licensed premises shall have any iron or steel in his possession or on his boots or shoes.
23. The licensee shall keep records and accounts of all fireworks received, used and stock on hand.
24. The licensee shall follow the local bye-laws at the place of storage and display and obtain necessary permission whenever required.
25. The kinds and quantities of explosives remaining after the expiry of licence shall be intimated to the licensing authority and the licensee shall abide by the instructions of such authority regarding disposal of explosives.
26. If the licensing authority directs the licensee by notice in writing to make any additions or alterations, which, in the opinion of such authority, is considered necessary for the safety, of the

- premises or of the person working therein or the spectators the licensee shall execute such additions or alterations within such period as may be specified.
27. The licensee and the employee shall be conversant with procedure to be taken during the emergency within the premises.
 28. Free access to the licensed premises shall be given at all reasonable times to any inspecting or sampling officer and every facility shall be provided to the officer for ascertaining that the provisions of the Act, these rules and the conditions are complied with.
 29. If the licensing authority informs in writing, the holder of the licence to execute any repairs or to make any additions or alterations to the licensed premises or machinery, tools or apparatus or carry out recommendations, which are in the opinion of such authority may pose unacceptable risk and so necessary for the safety of either on-site or off-site of the premises or persons, the holder of the licence shall execute the recommendations and report compliance within the period specified by such authority.
 30. Accidents by fire or explosion and losses, shortage or theft of explosives shall be immediately reported to the nearest police station and the licensing authority.
 31. Fireworks and pyrotechnic materials shall be loaded into mortars only prior to display. There shall be no reloading of any fireworks and pyrotechnic materials during fireworks display.
 32. The fuse shall be fitted in such a way that minimum 15 centimeter of the fuse protrudes out of the shell after it has been inserted into mortar.
 33. In the event of misfire of fireworks, no person shall approach or be permitted to approach the display site until 30 minutes after igniting the fireworks.
 34. Mock drill shall be conducted at least two days prior to the actual display of fireworks, to assess the preparedness of the onsite emergency plan under the supervision of the licensing authority.
 35. The persons engaged by the licensee for conducting of fireworks display shall wear distinct colour jacket with fluorescent strips for easy identification and shall have identity cards issued by the licensee.

Signature of licensing authority,
Designation and Seal of licensing authority
(District Magistrate).”;

(ii) after Form LE-11, the following Form shall be inserted, namely:-

"Form LE-11 A
Fireworks Display Operator / Fireworks Display Assistant Certificate
(See article 11 of Part 1 of Schedule IV)

(Certificate of competency for Fireworks Display Operator / Fireworks Display Assistant)

No.....

This is to certify that(name)
born on.....(date of birth) resident of
.....(address)

Space for photograph of the Fireworks Display Operator/Fireworks Display assistant with signature
--

Passed the(Fireworks display operator/ fireworks display assistant examination)

held on..... (date) by (authority conducting examination)

and is authorized to supervise/assist fireworks display duly licensed in Form LE-6 granted by the District Magistrate under Explosives Rules, 2008.

This certificate shall remain valid till.....(five years from the date of issue). This certificate is liable to be suspended or revoked for any violation of the Act or rules framed there under or the conditions of this certificate or if there is any discrepancy or deviation in the information furnished by the applicant in his application form.

Place :.....

(Signature of Licensing Authority)

Date :

Statutory warning : Mishandling and misuse of explosives shall constitute serious criminal offence under the law.

Endorsement for revalidation.....

CONDITIONS

1. All local laws and regulations applicable for display fireworks shall be followed.
2. No person under the influence of intoxicating liquors narcotics or other dangerous drugs shall be allowed to handle explosive materials.
3. The holder of this certificate shall comply with all the directions as may be given by the licensing authority from time to time in the interest of safety.
4. Accidents by fire or explosion and losses, shortage or theft of explosives shall be immediately reported to licensee, the nearest police station and the licensing authority having jurisdiction over the area.";

(c) in Part 4,-

(i) in SET-I, after condition (25), the following condition shall be inserted, namely:-

"(25A) No fireworks shall contain lithium, antimony, mercury, arsenic, lead and strontium chromate or any other prohibited chemicals";

(ii) in SET-II,-

1. in condition 24A for the word " Concrete ", the word "Wooden " shall be substituted;

2. after condition (31), the following condition shall be inserted, namely:-

"(31A) No fireworks shall contain lithium, antimony, mercury, arsenic, lead and strontium chromate or any other prohibited chemicals;"

3. after condition (66), the following condition shall be inserted, namely:-

"(66A) No fireworks shall contain lithium, antimony, mercury, arsenic, lead and strontium chromate or any other prohibited chemicals;"

(iii) in SET-IX, after condition (3), the following condition shall be inserted, namely:-

"(3A) No fireworks shall contain lithium, antimony, mercury, arsenic, lead and strontium chromate or any other prohibited chemicals;"

(iv) in SET-XI, after condition (10), the following condition shall be inserted, namely:-

"(10A) No fireworks shall contain lithium, antimony, mercury, arsenic, lead and strontium chromate or any other prohibited chemicals;"

14. In Schedule VII of the said rules, in specification 3 , in serial number (1), in the sub- heading 'B. Manufacturing/Process Sheds', for the item 'c', following shall be substituted, namely:-

"c. The roof shall be of cement sheets or 10 centimeters thick reinforced cement concrete;"

15. In Schedule VII of the said rules, in specification 3 , in serial number 1, in the sub- heading 'F. Raw material Store, for the item 'c', following shall be substituted, namely:-

"c. Dedicated charcoal room and oxidiser's rooms shall be provided 3 meters in between safety distance;"

[F. No.-2(3)/2019-Expl]

Dr. SANDHYA BHULLAR, Jt.Secy.

Note: - The principle rules were published in gazette of India, extra ordinary *vide* notification number G.S.R. 907(E), dated the 29th December, 2008 and subsequently amended *vide* notification number G.S.R.65(E) dated 24th January, 2011 and G.S.R.17(E) dated 9th January, 2019.